Re-1 DEMAND NOTE/By E-mail-dfomuzaffarnagar@yahoo.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर ।

कार्यालय पता :– विकास भवन के पीछे मुजफ्फरनगर फैक्स/दूरभाष संख्या 0131 – 2021740 ई–मेल dfomuzaffarnagar@yahoo.com

पत्रांक :– 208 / 14–1 (FP/UP/ Road/121197/2021) मुजफ्फरनगर दिनांक, 26.07.2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
लोक निर्माण विभाग,मेरठ।

विषयः– चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/ Road/121197/2021) के संबंध मे ।

सन्दर्भः– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–8बी0/ यू0पी0/06/221/2021/एफ0 सी0/930 दिनांक–28.02.2023(सैद्वांतिक स्वीकृति) एवं पत्रांक 8बी0/ यू0पी0/06/221/2021/एफ0 सी0/180 दिनांक– 12.06.2023(सैद्वांतिक स्वीकृति की अतिरिक्त शर्त), इस कार्यालय का पत्रांक 3327/14–1 दिनांक 20.03.2023, आपका पत्रांक 1194/चौधरी चरण सिंह दिनांक 20.06.2023, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 4008/11–सी दिनांक 21.06.2023, एंव पत्रांक–4111/11–सी0, दि0– 03.07.2023 एंव अधिसाशी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड, मेरठ का पत्रांक–293/चौधरी चरण सिंह, दि0–05.07.2023 एंव प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद का पत्रांक–305/14–1, दि0–26.07.2023।

महोदय,

विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 28.02.2023 जो अधोहस्ताक्षरी के साथ–साथ आपको पृष्ठांकित भी है, के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज–1)जारी की गयी है, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र ने अपने पत्रांक–1433/सोनभद्र/33 दिनांक 06.03.2023, प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर ने अपने पत्रांक 2786/मिर्जापुर/15 दिनांक 04.03.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3654/13–1 दिनांक 14.03. 2023 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के पत्रांक 5150/14–1 दिनांक 02.03.2023, पत्रांक 5300/14–1 दिनांक 15.03.2023, पत्रांक–166/14–1, दि0–12.07.2023 एंव एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के पत्रांक 305/14–1 दिनांक 26.07.2023, पत्रांक–155/14–1, दि0–13.07.2023 द्वारा एन0पी0वी0, वन विभाग की परिसम्पत्तियों, ब्लॉक वृक्षारोपण एंव मार्ग किनारे वृक्षारोपण की धनराशि की मांग प्रेषित की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–4, 6 व 7 एवं सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक– 12.06.2023 के क्रम में प्रस्ताव के सापेक्ष ब्लाक वृक्षारोपण, क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 व अन्य मदो की धनराशि निम्नानुसार है–

शर्त सं0	वन प्रभाग	भूमि का प्रकार	रेंज का नाम	स्थल का नाम	क्षेत्र फल(हे0में)	धनराशि रुपये में	धनराशि का योग (रू0में)	
शर्त संख्या–6 (क्षतिपूरक वनीकरण)	सोनभद्र वन प्रभाग	अवनत वन भूमि	चुर्क रेंज	रोप क0नं0–2	20	5651200		प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
				रोप क0नं0–3	20	5629300		
			मांची रेंज	मांची क0नं0–8	20	5688200		
				देवरी क0नं0–3	20	5598800		
			पटना रेंज	पटना क0नं0–6	18	4414700		
			योग		**98**	**26982200**	26982200.00	
	मिर्जापुर वन प्रभाग	अवनत वन भूमि	विण्ढमफाल रेंज	दाँती क0नं0–1 (सूर्यवार)	66.50			
			ड्रमण्डगंज रेंज	बबुरा क0नं0–1 (महुगढी)	40.00			
			पटेहरा रेंज	घोरी क0नं0–1 (जहदर)	84.00			
			योग		**190.50**	**32867458**	32867458.00	
	ललितपुर वन प्रभाग	गैर वन भूमि	बार	बघोरा गाटा सं0 228	6.71	2360231		
			बार	बघोरा गाटा सं0 739 व 740	5.21	2161238		
			बार	बघोरा गाटा सं0 15,16 एवं 17	13.30	3533623		
			ललितपुर	कपासी गाटासं0 251	16.00	4654154		
			योग		**41.22**	**12709246**	12709246.00	

		अवनत वन भूमि	गोना	बालाबेहट	40.00	10194634		
			तालबेहट	शाहपुर	20.00	5568527		
			तालबेहट	पथा	26.84	7612019	23375180.00	
			योग		86.84	23375180		
		वृक्षारोपण हेतु अनउपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि मे ए0एन0 आर0 पौधारोपण कार्य हेतु धनराशि	ललितपुर	पौजरी गाटा सं0-302/1	2.24	6218100		
			ललितपुर	पौजरी गाटा सं0-26/1	30.20	20437000		
			ललितपुर	पौजरी गाटा सं0-27/1	90.50	70550200		प्रयोक्ता एजेंन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
			ललितपुर	जाखलौन गाटा सं0-752/4/1	18.00	14495100		
			ललितपुर	जाखलौन गाटा सं0-606/4	20.30	16272200		
			ललितपुर	जाखलौन गाटा सं0-532/1/2	9.74	10357500		
			ललितपुर	जाखलौन गाटा सं0-523	2.40	6025900		
			ललितपुर	बधौरा गाटा सं0-810, 817	7.66	10683500	155039500.00	
			योग :-		181.04	155039500	250973584.00	
क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि का कुल योग			कुल योग-					

संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि (भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2011- एफ0सी0(VOI-1) दिनांक-06.01.2022 के अनुपालन में बढी हुई एन0पी0वी0 (नई दर)						
शर्त संख्या-7 (एन0पी0वी0 कि धनराशि)	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	113.68हे0	957780.00 प्रति हे0	108880431.00		प्रयोक्ता एजेन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
	मेरठ वन प्रभाग	84.6 हे0	1228590.00प्रति हे0	103938714.00		
	गाजियाबाद वन प्रभाग	24.7 हे0	1357110.00 प्रति हे0	33520617.00		
	एन0पी0वी0 का कुल योग	222.98	-	246339762.00	246339762.00	

शर्त संख्या-4	वन प्रभाग का नाम	रोपण क्षेत्र (हे0में)	रोपण का प्रकार	धनराशि		प्रयोक्ता एजेन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
(अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि)	मेरठ वन प्रभाग मेरठ	15.0 हे0	रोड साईड वृक्षारोपण / ब्लाक वृक्षारोपण / ट्रीगार्ड वृक्षारोपण	18605220.00		
	गाजियाबाद वन प्रभाग	वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर	2470 ब्रिक गार्ड	10250500.00		
		वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग के मिडियन पर	2058 ट्रीगार्ड	6174000.00		
	परियोजना हेतु संबंधित जनपदों में अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु धनराशि का योग			35029720.00	35029720.00	
<u>कैम्पा फण्ड के अन्तर्गत जमा करायी जाने वाली क्षतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त रोपण, एन0पी0वी0 की धनराशि का योग</u>					<u>532343066.00</u>	

परिसम्पत्तियां (संशोधित सैद्वान्तिक स्वीकृति दिनांक– 12.06.2023 की शर्त सं0 01 व 03)	गाजियाबाद वन प्रभाग	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद की पत्र संख्या–305/14–1 दिनांक 26.07.2023 द्वारा जनपद गाजियाबाद के अर्न्तगत प्रस्तावित सरेखण के अन्तर्गत वन विभाग की परिसम्पत्तियों के संबंध में अवगत कराया गया है।	ग्रीन हाऊस, पालीहाऊस, हैण्डपम्प, सिंचाई नाली, बोरिंग एवं नई हाईटैक पौधशाला के निर्माण हेतु धनराशि	12596031.00	
			प्रस्तावित सरेखण मे आ रहे वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति	17515361.00	
	मेरठ वन प्रभाग	वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग सरेखण में प्रभावित वृक्षारोपण	वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग सरेखण में प्रभावित वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति	4627763.00	
		वन प्रभाग के अंतर्गत प्रस्तावित सरेखण मे आ रहे भवन	सरधना रेंज परिसर की पुनः निर्माण हेतु धनराशि का आंकलन (लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित)	9927000.00	
	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	विषयक परियोजना में प्रभावित होने वाली परिसम्पत्ति	परियोजना मे प्रभावित मोरना रेंज के अन्तर्गत माजरा पौधशाला एवं मुजफ्फरनगर रेंज के अन्तर्गत वृक्षारोपण के संबंध में धनराशि उपलब्ध कराने की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जोकि प्रस्ताव के भाग –2 में अपलोड है।	2150000.00	
		वन प्रभाग के अंतर्गत प्रस्तावित सरेखण मे आ रहे भवन	वन चेतना केन्द्र खतौली पुनः निर्माण हेतु धनराशि का आंकलन (लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित)	3147446.00	
				49963601.00	49963601.00
	कैम्पा फण्ड के अन्तर्गत जमा करायी जाने वाली क्षतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त रोपण, की धनराशि का योग			582306667.00	582306667.00
	कैम्पा फण्ड के अन्तर्गत जमा करायी जाने वाली समस्त धनराशि का महायोग				

उपरोक्तानुसार धनराशि रूपये अठावन करोड तेईस लाख छः हजार छः सौ सढसठ मात्र की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी के ई–पॉर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए जमा कराने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 28.02.2023 एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की अतिरिक्त शर्तें भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 में उल्लिखित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या / प्रमाण पत्र / वचनबद्धताऐं इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके। विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–9 के अनुपालन में कम से कम वृक्षों के पातन हेतु निर्देशित किया गया है,साथ ही भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 की शर्त संख्या–2 के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण व वन विभाग को जिन वृक्ष प्रजातियों को पातन न करके उन्हें निकाल कर किन्ही दूसरे स्थलों पर लगाया जा सकता है उनके सम्पूर्ण वृक्ष प्रत्यारोपण (ETT) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । विषयक परियोजना में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 03.07.2023 द्वारा विषयक परियोजना के समस्त देयकों के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में विषयक परियोजना के सापेक्ष समस्त देयको के भुगतान के उपरान्त ही बाधक वृक्षो के पातन सम्बन्धी कार्यवाही एवं विषयक परियोजना में कार्यनुमति जारी किया जाना सम्भव होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

23G:\My Drive\1.SHARE FOLDER 2021\1-Kawad-2023 March\DEMAND NOTE.docx

पत्रांक 208 /14–1 (FP/UP/ Road/121197/2021) दिनांकित । By E-mail

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2–मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ ।
3–वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ।
4–वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 208 /14–1 (FP/UP/ Road/121197/2021) दिनांकित । By E-mail

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 एवं दिनांक 28.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2, शर्त संख्या–3, शर्त संख्या–5 (223.0 हे0 गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम अमलदरामद एवं पी0एफ0 / आर0एफ0 घोषित करने के संबंध में), शर्त संख्या–6 एवं शर्त संख्या–24 के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त को सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मिर्जापुर एवं सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2, शर्त संख्या–6 एवं शर्त संख्या–24 के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त को सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–1,मुजफ्फरनगर एवं निर्माण खण्ड–2 गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, मेरठ

E-mail- cdpwdmeerut@gmail.com

दिनांकः– / /2023

पत्रांकः– /

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक(नोडल)
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

विषयः– मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के निर्माण हेतु मार्ग के संरेखण में स्थित पेड़ो के कटान हेतु वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–3649/14–1 (FP/UP/Road/ 121197/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक–02.05.2023 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक सं०–4111/11–सी– FP/UP/Road/ 121197/2021, दिनांक 03.07.2023

महोदय,

विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक–08बी०/यू०पी०/06/221/2021/एफ०सी०/930 दिनांक 28.02.2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई। जिसके क्रम में अनुपालन आख्या एवं परियोजना के सापेक्ष वांछित धनराशि नियमानुसार कैम्पा फण्ड जमा करने हेतु प्रभागवार/जनपदवार आपके पत्रांक–3649/14–1 (FP/UP/Road/ 121197/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक–02.05.2023 द्वारा दिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र० सं०	प्रभाग का नाम	एन०पी०वी०	सी०ए०/डी०एफ०एल०	सी०ए०/एन०एफ०एल०	सी०ए०/ए०एन०आर	सेफ्टी/(लैण्ड ट्रान्सफर डिविजन)	परिसम्पत्तियों	वन एवं वन्य जीवों का प्रबन्धन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुजफ्फरनगर	108880431	0	0	0	0	2150000	5000000	116030431
2	मेरठ	103938714	0	0	0	18605220	4627763	5000000	132171697
3	गाजियाबाद	33520617	0	0	0	16424500	30111392	5000000	85056509
4	मीरजापुर	0	32867458	0	0	0	0	0	32867458
5	सोनभद्र	0	26982200	0	0	0	0	0	26982200
6	ललितपुर	0	23375180	12709246	155039500	0	0	0	191123926
	योग	246339762	83224838	12709246	155039500	35029720	36889155	15000000	584232221

अतः आपसे उपरोक्त धनराशि में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो उसका विवरण इस कार्यालय को 2 दिन के अन्दर प्रेषित करने की कृपा करें ताकि शासन को पुनरीक्षित स्वीकृति/मांग हेतु विवरण प्रेषित किया जा सकें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसे अन्तिम मांग समझते हुये इस धनराशि की मांग शासन से की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी धनराशि का भुगतान किया जाना संभव नही होगा।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि यदि उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त कोई अन्य मांग कि जानी है तो 2 दिन के अन्दर इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।

(इं० संजय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, मेरठ।

पत्रांक 1293 / –चौ०-चरण सिंह दिनांक 05/ 07/2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो०नि०वि०, मेरठ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ जौन, मेरठ
3. अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो०नि०वि०, मेरठ।
4. प्रभागीय निदेशक, मेरठ/गाजियाबाद।
5. सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), लो०नि०वि०, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

(इं० संजय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, मेरठ।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक-4111/11-सी-FP/UP/Road/121197/2021, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 03 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ जोन, मेरठ।

विषयः- चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी कि0मी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद-मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 है0 संरक्षित वनभूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 84.6 है0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 है0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UP/Road/121197/2021)

संदर्भ:- 1- भारत सरकार का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/930, दिनांक-28.02.2023
2- इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक-2811/11सी FP/UP/Road/121197/2021 दिनांक-01.03.2023
3- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ का पत्रांक-4909/14-1, दिनांक 19.06.2023
4- इस कार्यालय का पत्रांक-4008/11सी, दिनांक 21.06.2023
5- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक-3806/14-1, दिनांक 20.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तो के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 आदि सम्पूर्ण देयको को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करने के पश्चात प्रयोक्ता एजेंसी को कार्यान्मुति दिया जाना है, परन्तु अभी तक प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समस्त देयको को जमा नहीं किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 20.05.2023 द्वारा पत्र प्रेषित कर 2 बिन्दुओं को उल्खित किया गया है, जिसमें आंशिक सी0ए0 की धनराशि जमा करने के उपरान्त प्रश्नगत परियोजना में प्रयोक्ता एजेंसी कार्यनुमति चाहता है तथा दूसरे बिन्दु में जानकारी चाही गयी है कि परिवेश पोर्टल पर कुल कितने चालान जनरेट किये जा सकते है।

प्रभागीय निदेशक, के बिन्दु सं0-1 के कम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या-भा स-68/14-2-2015-800(95)/2014टीसी-1, दिनांक 16.07.2015 में निर्देश दिये गये हैं कि समस्त देयको जमा कराने एवं अनुपालन कराने के पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी निदेशक को लीनियर श्रेणी की परियोजनाओं में वृक्षों के पातन तथा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है, जो पूर्व में समस्त वन प्रभागों को प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति पुनः संलग्नकर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं0-2 के कम में दिनांक 30.06.2023 को वीडियो कान्फ्रेस की बैठक में एन0आई0सी0 दिल्ली से वार्ता किया गया जिसमें उनके द्वारा अवगत गया है कि परिवेश पोर्टल पर धनराशि एक से अधिक बार जमा कर सकते हैं, जिसमें सम्बन्धित वन प्रभाग भी बैठक में सम्मिलित थे।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता एजेंसी से सैद्धन्तिक स्वीकृति में निर्गत सम्पूर्ण देयको को ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराने के पश्चात ही परियोजना में कार्यान्मुति निर्गत कराया जाय।

संलग्नक- उ0प्र0 शासन का आदेश दिनांक-16.07.2015 की छायाप्रति।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-4111/11-सी--FP/UP/Road/121197/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर एवं वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
2- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में अपने-अपने प्रभागों से सम्बन्धित सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये देयको को नोडल प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर को प्रेषित कर ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से तत्काल जमा कराने का कष्ट करें।
3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

(हस्ताक्षर)
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

दिनाँक: 12.06.2023

: 8वी / यू0पी0 / 06 / 221 / 2021 / एफ0सी0 / 180

अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष / पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

र्भः मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी का पत्रांक 3117 / 11-सी-FP/UP/Road/121197/2021, दिनांक 31.03.2023

दय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1278 / 81-2-2021-800(123) / 2021 दिनांक -08-2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के र्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी। प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा द्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। परियोजना निर्माण में मोदीनगर रेंज कार्यालय की पौधशाला, ग्रीनहट, पॉली हाउस, चाई नाली, बोरिंग, दीवार एवं वृक्षारोपण आदि की क्षति हुई है। इस सम्बन्ध में इन सभी की क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि जमा रने के लिए उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति में अतिरिक्त शर्त अधिरोपित करने का अनुरोध किया या है।

अतः प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के साथ उक्त शर्त को अधिरोपित किये जाने की वीकृति हेतु प्रकरण को दिनांक 30.05.2023 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के समक्ष (Agenda Item 8 U.P.) प्रस्तुत किया गया था, क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के अनुमोदन एवं निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य शर्तें अधिरोपित की जाती हैं:-

1. The amount shall be deposited by the User Agency to compensate infrastructure of Green Hut, Poly House, Irrigation drain, Boring, Wall and affected trees of Nursery of Modinagar Range Office.
2. The User Agency and Forest Department will jointly identify potential trees that can be transplanted with technical support and guidance of Forest Department and the cost of User Agency and forest department will keep data base and monitor success/survival of such transplanted trees.
3. User Agency shall also compensate for loss of infrastructure/facility (Nursery) etc. and plantation in all the effected division.

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@gov.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/930

दिनाँक: 28.02.2023

सेवा में,

अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषयः चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 का पत्रांक 2478/11-सी-FP/UP/Road/ 121197/2021 दिनांक 01.02.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रकरण को दिनांक 20.02.2023 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की द्वितीय बैठक के समक्ष (Agenda Item 2.3 U.P.) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था, क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over an area of 408.06 ha {41.22 ha non-forest land (16.00 ha of Gata No.251/4, Village Kapasi, Range & District Lalitpur, 13.30 ha of Gata No.15, 16 & 17, Village Baghaura, Range Baar, District Lalitpur, 6.71 ha of Gata No.228, Village Baghaura, Range Baar, District Lalitpur & 5.21 ha of Gata No. 739 & 740, Range Baar, District Lalitpur) and 366.84 ha degraded forest land (66.50 ha of Daati Compartment No.1 (Suryavar), Range Vindhamphal, District Mirzapur, 40.00 ha of Babura Compartment No.1 (Mahugarhi), Range Dramandganj, District Mirzapur, 84.00 ha of Ghori Compartment No.2 (Jahdar), Range Patehara, District Mirzapur, 40.00 ha of Balabehat Forest Block, Range Gauna, District Lalitpur, 20.00 ha of Shahpur Forest Block, Range Talbehat, District Lalitpur, 26.84 ha of Pawa Forest Block, Range Talbehat, District Lalitpur, 18.00 ha of Compartment No.6, Patna Forest Block, Range Patna, District Sonbhadra, 20.00 ha of Compartment No.2, Roup Forest Block, Range Churk, District Sonbhadra, 20.00 ha of Compartment No.3, Roup Forest Block, Range Churk, District Sonbhadra, 20.00 ha of

Compartment No.8, Machi Forest Block, Range Machi, District Sonbhadra & 20.00 ha of Compartment No.3, Devri Forest Block, Range Machi, District Sonbhadra)) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

3. **The non-forest land which is unsuitable for plantation should be taken up for protection and assisted afforestation in the available space using necessary cultural operation technique.**

4. **Road side plantation/block plantation should be taken up in any of the three affected districts in the proposal to compensate for loss of tree cover.**

5. **The non-forest land of 223.00 ha in district Lalitpur proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval.**

6 ~~3.~~ The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

7 ~~4.~~ The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 222.98 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.**

8 ~~5.~~ Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

9 ~~6.~~ User agency shall restrict the felling of trees to 112722 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

10 ~~7.~~ The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

11 ~~8.~~ Certificate of 'No violation' of FCA from concerned DFOs shall be provided.

12 ~~9.~~ Plantation shall be raised on both sides of the road and median by the State Forest Department at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015. Scheme for roadside plantation shall be submitted.

13 ~~10.~~ Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.

14 ~~11.~~ The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.

15 ~~12.~~ User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

16 ~~13.~~ The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

17 ~~14.~~ No labour camp shall be established on the forest land.

18 ~~15.~~ Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

21. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

22. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

23. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

24. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

25. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *(https://parivesh.nic.in/)*.

26. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in/*

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (विभागाध्यक्ष), उ०प्र० वन विभाग, 17, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

28.02.2023

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांकः 155 /14–1, दिनांक, गाजियाबाद 13/ जुलाई, 2023

वा मे,

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग डिविजन,
मेरठ।

विषयः चौधरी चरण सिंह कावड सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी कि0मी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः भारत सरकार की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/180, दिनांक 12.06.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम मे अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र मे लगायी गयी शर्तों के अनुसार अनुपालन आख्या 5 प्रतियों तथा धनराशि कैम्पा फण्ड मे जमा कर चालान एवं पुष्टि सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

Observe No.	Condition of GOI	Reply
1	The amount shall be deposited by the User Agency to compensate infrastructure of Green Hut, Poly House, Irrigation drain, Boring, Wall and affected tress of Nursery of Modinagar Range Office.	ग्रीन हाउस, पॉली हउस, हैण्ड पम्प, सिचाई नाली बोरिंग एवं नई हाईटेक पौधशाला के निर्माण हेतु रू0– 1,25,96,031 की धनराशि कैम्पा फण्ड मे जमा करने का कष्ट करें।
2	The User Agency and Forest Department will jointly identify potential tres can be transplants with technical support and guidance of Forest Department and the cost fo User Agency and forest department will keep data base and monitor success/survival of such tranplantsed trees.	उक्त शर्त के अनुपालन हेतु प्रस्तावक विभाग एवं सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, गाजियाबाद के सम्बन्धित अधिकारी कार्यवाही करेंगे।
3	User Agency shall also compensate for loss of infrastructure/facility (Nursery) etc. and plantation in all the effected division.	उक्त शर्त के अनुसार वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति हेतु रू0– 1,66,80,333 की धनराशि कैम्पा फण्ड मे जमा करने का कष्ट करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक /14–1, दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

पत्रांक— 166 /14—1, मेरठः दिनांकः 12 जुलाई, 2023.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक ,
सा0 वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर।

विषयः— चौधरी चरणसिंह कांवड़ सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दाएँ पटरी कि०मी० चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुज़फ़्फ़रनगर वन प्रभाग में 113.86 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाज़ियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के ग़ैर वानिकी प्रयोग एवं मुज़फ़्फ़रनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौधे (24,223 वृक्ष तथा 42,462 पौध) एवं गाज़ियाबाद वन प्रभाग में (4164 वृक्ष एवं 25000 पौध) 29,164 वृक्ष/पौधे अर्थात कुल 1,12722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः— 1—पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/221/2021 /एफ0सी0/930, दिनांक—28.02.2023.
2—पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/221/2021 /एफ0सी0/180, दिनांक—12.06.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक—12.06.2023 की शर्त संख्या 03 (User Agency shall also compensate for loss of infrastructure/facility (nursery) etc and plantation in all the effected division) के क्रम में अवगत कराना है कि परियोजना निर्माण में प्रभावित जनपद मेरठ की सरधना रेंज परिसर एवं परिसंपत्तियों के नव निर्माण का आकलन तैयार करते हुए अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा ***99.270 लाख (निन्यान्वे लाख सत्तायीस हजार रू0 मात्र)*** का आगणन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । जिसके संबंध में आप अवगत ही है कि उक्त कार्य यानि कि प्रभावित रेंज कार्यालय एवं परिसंपतियों का नवनिर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जाएगा अर्थात् कार्यदायी संस्था PWD ही रहेगा जो कि वन विभाग की देख रेख में कराया जायेगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित प्रभावित परिसंपत्तियों के नवनिर्माण का आगणन रू० — 99.270 लाख ***(निन्यान्वे लाख सत्तायीस हजार रू0 मात्र)*** को नयी Demand में समायोजित करने का कष्ट करे, जिसको कैम्पा फण्ड में जमा कराया जाएगा।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संख्या— 166 / 14—1 , दिनांकित।

प्रतिलिपिः— 1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— 2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,मेरठ वृत्त, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— 3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, गाजियाबाद वन प्रभाग को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— 4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ

E-mail- cdpwdmeerut@gmail.coin

पत्रांक 1317 / सं0पत्र सिंह   दिनांकः— 10 / 07 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

विषयः जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के संरेखण में आने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों (सरधना रेंज) का निर्माण कार्य हेतु।

सन्दर्भः कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग(नोडल), मुजफ्फरनगर का पत्रांक—4144 / 14—1 (FP/UP/Road/121197/2021) मुजफ्फरनगर दिनांक—24.06.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक कार्य हेतु आर0ई0सी0 की बैठक [illegible] स्वीकृति की शर्तो के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) पर प्रयोक्ता [illegible] द्वारा वन विभाग(सरधना रेंज) की परिसम्पत्तियों के पुनःनिर्माण हेतु रू0—99.270 लाख का आगणन [illegible] म सम्मिलित करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(इं0 संजय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ।

पत्रांक   दिनांक / 07 / 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अधीक्षण अभियन्ता(चतुर्थ), लो0नि0वि0, मेरठ ।

संबंधित IDM
आ0कार्यवाही
प्र0नि0
11-7-2023

(इं0 संजय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ।

लोक निर्माण विभाग

प्रारम्भिक आगणन

वर्ष 2023–24

मेरठ वृत्त लो0नि0वि0, मेरठ

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ

कार्य का नाम :– जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के संरेखण में आने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों (सरधना रेंज) का निर्माण कार्य हेतु।

वृत्त का नाम :– मेरठ वृत्त लो0नि0वि0, मेरठ

खण्ड का नाम :– निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ

कुल लागात :– 99.27 Lacs

Detail of Measurement

ी का नाम :– जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी
शी) के संरेखण में आने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों (सरधना रेंज) का निर्माण कार्य हेतु।

	Items	Nos.	Length	Width	Height	Quantity	Unit
	Demolish of forest old Building						
	LS	1 x 1	1.00	-	-	1.00	
					Total	1.00	Job
2	मार्ग के संरेखण में आने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों (सरधना रेंज) की दरें प्लिन्थ ऐरिया रेट दिनांक–20.082020 की दरों के आधार पर ।						
	Total Covered Area	1 x 1	447.19	-	-	447.19	
					Total	447.19	sqm
3	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam, clay or sand) including lift upto 1.50M. and lead upto 30M. and including filling watering and ramming of excavated earth into the trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the E/I upto a distance of 30 M. from the foundation trenches. As per SOR SI No. 251A. also including all material, labour, T&P, levy, toll fee, labour cess but excluding GST.						
	For Boundary wall	1 x 1	215.00	1.50	0.900	290.25	
					Total	290.25	cum
4	Cement Concrete with 2 cm gauge stone grit, coarse sand of approved Haridwar quarry & cement in the proportion of 4:2:1 including supply of all materials, labour, Tools & plants etc. required for proper completion of the work. As per SI No. 279 (a). also including all material, labour, T&P, levy, toll fee, labour cess but excluding GST.						
	For Boundary wall	1 x 1	215.00	1.10	0.100	23.65	
	Outer side	1 x 2	40.00	7.00	0.150	84.00	
	For Coping	1 x 1	215.00	0.23	0.050	2.47	
					Total	110.12	cum
5	M-150 Brick Work in 1:4 one Cement & Four Coarse Sand in foundation and plinth including supply of all materials labour, Tools & plants etc. required for proper completion of the work. As per SOR SI No. 305 (a). also including all material, labour, T&P, levy, toll fee, labour cess but excluding GST.						
	For Boundary wall	1 x 1	215.00	0.90	0.300	58.05	
		1 x 1	215.00	0.70	0.300	45.15	
		1 x 1	215.00	0.50	0.300	32.25	
		1 x 1	215.00	2.10	0.230	103.85	
					Total	239.30	cum
6	12 mm thick cement plaster in dedo or skirting in 1:2 consisting of one part of cement & two parts of approved coarse sand of approved Haridwar quarry laid in panels finished with 3 mm floating coat of neat cement or cement mixed with marble dust in ratio 5:1 including supply of all materials, labour, Tools & plants etc. required for proper completion of the work. .As per SOR SI.No.597. also including all material, labour, T&P, levy, toll fee, labour cess but excluding GST.	1 x 2	215.00	2.10	-	903.00	
	For Boundary wall	1 x 2	215.00	0.90	-	387.00	
					Total	1290.00	sqm

Junior Engineer

Assistant Engineer

Executive Engineer
CD, PWD, Meerut

Bill of Quantity

का नाम :- जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद मे चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दायी पटरी) के संरेखण में आने वाली वन
की परिसम्पत्तियों (सरधना रेंज) का निर्माण कार्य हेतु।

o.	Items	Quantity	Unit	Rates	Amount
	Demolish of forest old Building	1.00	Job	40000.00	40000.00
2	मार्ग के संरेखण में आने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों (सरधना रेंज) की दरें [Plinth Area Rate Applicable from dated 14.08.2020 UP PWD, 96 Mahatama Gandhi Marge Lucknow] की दरों के आधार पर ।	447.19	sqm	13400.00	5992346.00
3	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam, clay or sand) including lift upto 1.50M. and lead upto 30M. and including filling watering and ramming of excavated earth into the trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the E/I upto a distance of 30 M. from the foundation trenches. As per SOR Sl No. 251A. also including all material, labour, T&P, levy, toll fee, labour cess but excluding GST.	290.25	cum	110.00	31927.50
4	Cement Concrete with 2 cm gauge stone grit, coarse sand of approved Haridwar quarry & cement in the proportion of 4:2:1 including supply of all materials, labour, Tools & plants etc. required for proper completion of the work. As per Sl No. 279 (a). also including all material, labour, T&P, levy, toll fee, labour cess but excluding GST.	110.12	cum	7050.00	776346.00
5	M-150 Brick Work in 1:4 one Cement & Four Coarse Sand in foundation and plinth including supply of all materials labour, Tools & plants etc. required for proper completion of the work. As per SOR Sl No. 305 (a). also including all material, labour, T&P, levy, toll fee, labour cess but excluding GST.	239.30	cum	4600.00	1100780.00
6	12 mm thick cement plaster in dedo or skirting in 1:2 consisting of one part of cement & two parts of approved coarse sand of approved Haridwar quarry laid in panels finished with 3 mm floating coat of neat cement or cement mixed with marble dust in ratio 5:1 including supply of all materials, labour, Tools & plants etc. required for proper completion of the work. .As per SOR Sl.No.597. also including all material, labour, T&P, levy, toll fee, labour cess but excluding GST.	1290.00	sqm	230.00	296700.00
				Total	8238099.50
				Say (In lacs)	82.38

Junior Engineer

Assistant Engineer

Executive Engineer
CD, PWD, Meerut

Summary of Cost

कार्य का नाम :– जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के संरेखण में आने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों (सरधना रेंज) का निर्माण कार्य हेतु।

S.No.	Items	Amount (In Lacs)
1	जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के संरेखण में आने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों (सरधना रेंज) का निर्माण कार्य हेतु।	82.38
A	Total (In Lacs)	82.38
B	Add Contengency 1.0% on "A"	0.82
C	Add GST @ 18% on "A"	14.83
D	Add Depreciation cost 1.5% on "A"	1.24
E	Total (A+B+C+D)	99.27

Junior Engineer
CD, PWD, Meerut

Assistant Engineer
CD, PWD, Meerut

Executive Engineer
CD, PWD, Meerut

Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांकः 5272 /14-1, दिनांक, गाजियाबाद 05 मई, 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग डिविजन,
मेरठ।

विषयः चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग के निमार्ण के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या– FP/UP/ROAD/121197/2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में निम्न कमियां है उक्त को दूर कर संशोधित प्रपत्र भेजने का कष्ट करें।

1. पृष्ठ संख्या–18 के काष्ट बेनिफिट में आप द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में कोई भी पब्लिक फेस्लिटि व इन्फ्राट्रेक्चर बाधित नहीं है। जबकि उक्त प्रस्ताव में संरक्षित भूमि के अतिरिक्त वन विभाग मुरादनगर पौधशाला का परिसर जिसमें ग्रीन हट, पौली हाउस, पौधशाला गेट, ऑफिस दीवार एवं पौधशाला सिचाई नाली, बोरिंग बैड, हैण्ड पम्प, पौध आदि का विस्थापन होना है। उक्त नर्सरी की मूलभूत संरचना प्रभावित होने से मोदीनगर तहसील के अन्तर्गत विभिन्न विभागों, जन सामान्य एवं स्थानीय निकायों को वृक्षारोपण हेतु पौध उपलब्ध कराने की व्यवस्था अवरूद्ध होगी।
2. पृष्ठ संख्या–19 में जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 24.70 हें0 गैर वन भूमि देने की सहमति दी गयी है जबकि प्रकरण में दुगनी अवनत वन भूमि की मांग की जा रही है। अतः उक्त प्रपत्र में भी स्पष्ट उल्लेख करें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा गैर वन भूमि दी जानी है अथवा दुगनी अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया जाना हैं।
3. आप द्वारा जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों का आक्लन 97 लाख दर्शाया गया है जो गलत है। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत पढ़ने वालें चैंनेज 151.050 से 163.400 में निम्नानुसार परिसम्पतियों का क्षति होगी, अनुमानित विवरण निम्नवत् हैं।

- मील संख्या 94 से 98 मील दांयी पटरी 2011 वृक्ष का मूल्य राशि — धनराशि– 1302200.00
- मील संख्या 99 से 100.5 मील दांयी पटरी <u>2153</u> वृक्ष का मूल्य राशि — धनराशि– 2592848.00

योग– <u>4164</u>

4164 पेड़ों पर गदावा बनाकर नम्बर डालना मूल्क प्रति वृक्ष 05.00 — धनराशि – 20820.00

<u>विभिन्न वर्षो के वृक्षारोपण।</u>

- मील 94, 95 दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2014–3750 पौध चारों वर्षो के प्राक्लनों के अनुसार
  कुल धनराशि– 1302200.00
- मील 98.99 व 100 पार्ट दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2015–5000 पौध चारों वर्षो के प्राक्लनों के अनुसार
  कुल धनराशि– 1302200.00
- मील 94 पार्ट दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2016–2500 पौध चारों वर्षो के प्राक्लनों के अनुसार
  कुल धनराशि– 860400.00
- मील 96 पार्ट दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2016–2500 पौध चारों वर्षो के प्राक्लनों के अनुसार
  कुल धनराशि– 877100.00
- मील 95 पार्ट दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2019–5500 पौध चारों वर्षो के प्राक्लनों के अनुसार
  कुल धनराशि– 1171500.00
- मील 97 पार्ट दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2019–5500 पौध चारों वर्षो के प्राक्लनों के अनुसार
  कुल धनराशि– 1171500.00

योग – <u>24750 पौधे</u>

4. 250 आर0सी0सी0 ट्री गार्ड रोपण 2015 दर रू0 2265 प्रति ट्री गार्ड, प्रावलन के अनुसार
   कुल धनराशि– 5662500.00
5. पौधशाला में सेही जाली 200 मीटर दर रू0 450 प्रति मी0 प्राक्लन के अनुसार — कुल धनराशि– 90000.00

File name: F/vashi/aabi aa2 letter

6. रेंज कार्यालय में 40 .टर दीवार, 68 स्क्वायर मीटर कार्यालय में इण्टर लाकिंग टायल्स रास्ता एवं एंगल आयरन तथा गेट की लागत, प्राक्लन के अनुसार — कुल धनराशि– 350000.00
7. ग्रीन हाउस व उसकी दीवार, प्राक्लन अनुसार — कुल धनराशि– 303300.00
8. पाली हाउस, प्राक्लन के अनुसार — कुल धनराशि– 365000.00
9. हैण्डपम्प बाजार मूल्य — कुल धनराशि– 35000.00
10. पौधशाला में सिंचाई नाली 450 मीटर दर प्रति रू0 975 प्रति मी0 बाजार मूल्य — कुल धनराशि– 438750.00
11. पौधशाला में 02 बोरिंग मय समर सेबिल बाजार मूल्य — कुल धनराशि– 110000.00
12. पौधशाला में आ रही 100000 थैली पौधं को दूसरे स्थान पर प्लाट बनाकर रखना अनुमानित — कुल धनराशि– 300000.00
13. पौधशाला में बनी वर्मी कम्पोस्ट खाद की बेड, प्राक्लन के अनुसार — कुल धनराशि– 35000.00
14. नई हाईटैक/मोर्डन पौधशाला निर्माण हेतु वांछित धनराशि — कुल धनराशि–10412000.00

योग– 29520973.00

15. कन्टीजैन्सी 2% क्रम संख्या–01 से 13 तक की — कुल धनराशि– 590419.00

योग– 30111392.00

16. इस वन प्रभाग के अन्तर्गत मील 94 से मील संख्या–100.5 तक 4164 वृक्ष एवं वर्ष 2014, 2015, 2016, 2019 के वृक्षारोपण के 24750 पौधें प्रभावित/बाधक होंगे तदनुसार भाग–1 में संशोधित करने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,
05/05/2021 दीक्षा भण्डारी
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

पत्रांक 5272 / दिनांकित
प्रतिलिपिः वन संरक्षक मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलितपः अधिशासी अभियन्ता, खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

05/05/2021 दीक्षा भण्डारी
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर

पत्रांक : 1645 / 1(N) 𝑎𝑙𝑙𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑎𝑙 दिनांक : 11/7/23

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषय :– चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी के संरेखन में आ रही परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः– भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या –11/1092/आर0ई0सी0/2014/यू0पी0/86दिनांक 27.05.2023 एवं आपका पत्र संख्या 3858/14–1 (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 31.05.2023 इस कार्यालय का पत्र सं0 1614/1सी कावड नहर दिनंका 07.07.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसमें माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर की जानसठ रेंज के अन्तर्गत खतौली सैक्शन में अवस्थित वन चेतना केन्द्र व मार्ग के संरेखण में आ रही प्रभाग के अधीन अन्य परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण कर निरीक्षण करने हेतु लिखा गया है। जिसके क्रम में उक्त परियोजना का संयुक्त निरीक्षण उप प्रभागीय वनाधिकारी मु0नगर एवं इस खण्ड के सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट संशोधित कर संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : / दिनांक :

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता निर्माण निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–सम्बन्धित सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मु0नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर।

Cheetal Khatouli

S/No	Description	Nos	Nos	L	B	Ht	Area	unit	Rate	Amount
1	1st structure(tin shed)	1	1	14.2	2.5		35.5			
		1	1	11.5	4.5		51.75			
		1	1	8.1	3		24.3			
		-1	1	3.3	0.6		-1.98			
2	2nd structure(tin shed)	1	1	4.5	6.8		30.6			
3	3 rd old structure (tin shed)	1	3	$3.14 \times (2.1)^2$			41.54			
4	4 rth structure(tin shed)	1	1	16	9		144			
		1	1	3.7	4.5		16.65			
		1	1	16	9		144			
	Total Brick work structure area Rate 60 % down due to tin shed (14200 x 40%)						486.36	sqm	5680	2762524.80
5	5 th hexagonal structure B/W	1	1	$3/2(a)^2$x square root 3			12.57	sqm	16550	208033.50
									total	2970558.30
		1	1	14.7	0.3	0.9	3.969	cum	4404.00	17479.48
6	6 th B/W boundry wall	1	1	82	0.3	0.9	22.14	cum	7200	159408.00
									total	176887.48
7	7 th RCC structure								Total cost Rs	3147445.78

junior Engineer
C.D.-1 P.W.D.
Muzaffarnagar

Assistant Engineer
C.D.-1 P.W.D.
Muzaffarnagar

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एव 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/ROAD/121197/2021

" प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 (शुद्धवर्तमान मूल्य) की गणना

वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की गणना–

1– हरियाली घनत्व– 0.3

2– इको क्लास श्रेणी–।।। (Tropical Dry Deciduous Forest)

3– एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये–957780.00

4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल– 113.68 है0

5– कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रूपये– 108880431.00

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
[illegible]
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: [illegible]

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/06/221/2021/एफ०सी०/930 दिनांक: 28.02.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषयः **चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।**

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 2478/11–सी–FP/UP/Road/ 121197/2021 दिनांक 01.02.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक 1278/81–2–2021–800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रकरण को दिनांक 20.02.2023 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की द्वितीय बैठक के समक्ष (Agenda Item 2.3 U.P.) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था, क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over an area of 408.06 ha [41.22 ha **non-forest land** (16.00 ha of Gata No.251/4, Village Kapasi, Range & District Lalitpur, 13.30 ha of Gata No.15, 16 & 17, Village Baghaura, Range Baar, District Lalitpur, 6.71 ha of Gata No.228, Village Baghaura, Range Baar, District Lalitpur & 5.21 ha of Gata No. 739 & 740, Range Baar, District Lalitpur) and **366.84 ha degraded forest land** (66.50 ha of Daati Compartment No.1 (Suryavar), Range Vindhamphal, District Mirzapur, 40.00 ha of Babura Compartment No.1 (Mahugarhi), Range Dramandganj, District Mirzapur, 84.00 ha of Ghori Compartment No.2 (Jahdar), Range Patehara, District Mirzapur, 40.00 ha of Balabehat Forest Block, Range Gauna, District Lalitpur, 20.00 ha of Shahpur Forest Block, Range Talbehat, District Lalitpur, 26.84 ha of Pawa Forest Block, Range Talbehat, District Lalitpur, 18.00 ha of Compartment No.6, Patna Forest Block, Range Patna, District Sonbhadra, 20.00 ha of Compartment No.2, Roup Forest Block, Range Churk, District Sonbhadra, 20.00 ha of Compartment No.3, Roup Forest Block, Range Churk, District Sonbhadra, 20.00 ha of

Compartment No.8, Machi Forest Block, Range Machi, District Sonbhadra & 20.00 ha of Compartment No.3, Devri Forest Block, Range Machi, District Sonbhadra)] at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

3. **The non-forest land which is unsuitable for plantation should be taken up for protection and assisted afforestation in the available space using necessary cultural operation technique.**

4. **Road side plantation/block plantation should be taken up in any of the three affected districts in the proposal to compensate for loss of tree cover.**

5. **The non-forest land of 223.00 ha in district Lalitpur proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval.**

6. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

7. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 222.98 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.
Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

8. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

9. User agency shall restrict the felling of trees to 112722 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

10. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

11. Certificate of 'No violation' of FCA from concerned DFOs shall be provided.

12. Plantation shall be raised on both sides of the road and median by the State Forest Department at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015. Scheme for roadside plantation shall be submitted.

13. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.

14. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.

15. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

16. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

17. No labour camp shall be established on the forest land.

18. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

19 ~~16~~. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

20 ~~17~~. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

21 ~~18~~. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

22 ~~19~~. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

23 ~~20~~. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

24 ~~21~~. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

25 ~~22~~. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

26 ~~23~~. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

27 ~~24~~. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

28 ~~25~~. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *(https://parivesh.nic.in/)*.

29 ~~26~~. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in/*

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डा0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (विभागाध्यक्ष), उ0प्र0 वन विभाग, 17, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

28.02.2023

(डा0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

पत्रांक 1433 /सोनभद्र/33 ,दिनांक, राबर्ट्सगंज, मार्च 07, 2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक (नोडल)
मुजफ्फर नगर वन प्रभाग,
मुजफ्फर नगर।

विषय- चौधरी चरणसिंह कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फर नगर वन प्रभाग मे 113.68हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग मे 84.60हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग मे 24.7हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फर नगर वन प्रभाग मे 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग मे 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग मे 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात कुल 112722 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- 8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/930, दिनांक 28.02.2023 एवं आपका पत्रांक 3177/14-1 (एफ0पी0/यू0पी0 /रोड/ 121197/ 2021) मुजफ्फरनगर दिनांक-02.03.2023।

महोदय,

विषयक परियोजना मे सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आप द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृत की शर्तो के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि, मार्ग के किनारे वृक्षारोपण/ब्लाक वृक्षारोपण की धनराशि, शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि की प्राक्कलन चाही गयी है। उक्त के क्रम मे विषयक परियोजना मे इस वन प्रभाग अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निम्न विवरण के अनुसार धनराशि आंकलित है, जिसका विस्तृत विवरण पूर्व में आपको प्रेषित किया जा चुका है :-

क्र0 सं0	वृत्त/ मण्डल का नाम	वन प्रभाग का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि के रेंज का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि के वन ब्लाक एवं कम्पार्टमेन्ट का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि का सकल क्षेत्रफल (हे0मे)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि का शुद्ध क्षेत्रफल (हे0मे)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंकलित धनराशि (लाख मे)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मीरजापुर	सोनभद्र	घुर्मा	रीप कं0नं0-2	30.00	20	56.512
2				रीप कं0नं0-3	25.30	20	56.293
3			मांची	मांची कं0नं0-6	24.70	20	56.882
4				देवरी कं0नं0-3	26.60	20	55.988
5			पटना	पटना कं0नं0-6	18.50	18	44.147
	योग-				125.10	98हे0	269.822

अतः उपरोक्तानुसार सूचना आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

संख्या- 1433 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य अभियन्ता मेरठ क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक–2786 /मीरजापुर/ 15,दिनांक मीरजापुर मार्च 04, , 2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर ।

विषय– चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद–मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका कार्यालय पत्रांक–3177/14–1/(FP/UP/ROAD/121197/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक 02.03.2023 ।

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद–मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/390, दिनांक 28.02.2023 द्वारा उसमें उल्लिखित 26 शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 के अनुपालन हेतु इस वन प्रभाग में होने वाले क्षतिपूरक वनीकरण के प्रॉक्कलन तथा शर्त संख्या–21 के अनुपालन हेतु प्रमाण पत्र की आप द्वारा अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में शर्त संख्या–2 एवं 03 के अनुपालन में 190.50 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रॉक्कलन एवं शर्त संख्या–21 के अनुपालन हेतु अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 2786 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

covring letter 190.50

Scanned with CamScanner

बिन्दु संख्या– 2

चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद–मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/ पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षो/ पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में **(FP/UP/ROAD/121197/2021)** प्रमाण पत्र ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी के व्यय पर मीरजापुर वन प्रभाग द्वारा निम्नलिखित स्थलो पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य कराया जायेगा। परियोजना में अवनत वन भूमि क्षेत्रफल 190.50 हे0 पर स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षो का मिश्रित वृक्षारोपण करते हुये मोनो कल्चर को टाला जायेगा।

क0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	क0न0	DSS Analysis के उपरान्त अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)	अवनत वन भूमि का प्रकार
1–	मीरजापुर वन प्रभाग	विण्ढमफाल रेंज	दाँती क0न0–1 (सूर्यवार)	66.50	आरक्षित (RF)
2–		ड्रमण्डगंज रेंज	बबुरा क0न0–2 (महुगढ़ी)	40.00	आरक्षित (RF)
3–		पटेहरा रेंज	घोरी क0न0–2(जहदर)	84.00	आरक्षित (RF)
			योग –	190.50	

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

Scanned with CamScanner

बिन्दु संख्या– 21

चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद–मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/ पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षो/ पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में (FP/UP/ROAD/121197/2021) प्रमाण पत्र ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डायवर्ट किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, सी0ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट एरिया WLMP क्षेत्र को कार्य शुरू होने से पहले आवश्यक विवरणो के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

covring letter 190.50

Scanned with CamScanner

[illegible]-3

चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद–मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.60 है0 संरक्षित वन भूमि ,जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 है0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 है0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.90 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौधे एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में (Online proposal no. FP/UP/ROAD/ 121197/ 2021) चयनित स्थल मीरजापुर वन प्रभाग के 190.5 है0 अवनत भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक–120/2–37–2(सीलिंग दर) दिनांक 25.08.2016, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र संख्या–5476/मी0क्षे0/7–7(15) दिनांक 18.08.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–जी–03/15–1(सीलिंग दर) दिनांक 30.09.2020 के अनुसार 10 वर्षीय योजना, मुद्रा स्फीति के कारण 6 प्रतिशत मूल्य वृद्धि एवं सेन्टेज चार्ज सहित प्रॉक्कलन निम्न प्रकार है–

पठारी क्षेत्रों हेतु व्यय अनुमान
वृक्षारोपण वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)

क्षेत्रफल– 10.00 है0
गड्ढो की सं0–1100 प्रति है0
पत्थर दीवाल लम्बाई–800.00 मी0

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	10	है0	54.00	540.00
2.	निरीक्षण मार्ग का निर्माण	1	कि0मी0	4839.00	4839.00
3.	क्षेत्र की सफाई (लेन्टानायुक्त सघनता) 25 से 50 %	10	है0	2763.00	27630.00
4.	निशानदेही गड्ढा	11000	प्रति सै0	40.80	4488.00
5.	अग्रिम मृदा कार्य– गड्ढा खुदान (45x45x45) सें0मी0 पठारी भूमि	11000	प्रति गड्ढा	10.40	114400.00
6.	पत्थर दीवाल निर्माण (1.20x0.80x1.00) मी0 2	800	प्रति मी0	340.50	272400.00
7.	पत्थर दीवाल पर 10 सें0मी0 मिट्टी चढ़ाई	800	प्रति मी0	4.40	3520.00
8.	अन्य व्यय (है0 में)	10		ल0स0	600.00
				योग–	428417.00
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			25705.02
				योग–	454122.02

(वृक्षारोपण कार्य)

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	गड्ढा भरान कार्य (45x45x45) सें0मी0	11000	प्रति गड्ढा	1.20	13200.00
2.	स्थानीय पौध नर्सरी से पौध ढुलान 50 किमी. तक	11330	प्रति पौध	3.25	36822.50
3.	गड्ढो मे रोपण स्थानीय ढुलान सहित	11000	प्रति पौध	2.40	26400.00
4.	थावला बनवाई	11000	प्रति थावला	2.65	29150.00
5.	निराई–गुड़ाई (3 बार)	11000	प्रति सै0/ प्रतिवार	90.00	29700.00
6.	कीटनाशक एवं उर्वरक का क्रय व प्रयोग (1 बार)	11000	प्रति पौध प्रतिवार	8.65	95150.00
7.	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (प्रति 10 है0) जुलाई से मार्च तक	234	प्रति दिवस	201	47034.00
8.	रोपावनी बोर्ड				4603.77
9.	अन्य व्यय		ल0स0		500.00
				योग–	282560.27
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			16953.62
				योग–	299513.89

Scanned with CamScanner

प्रथम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	असफल गड्ढों में पौधों की बदलवाई हेतु पौधे (10 % पौधे) छोटी थैली पौध का ढुलान किमी 80 तक	1100	प्रति पौधा	3.25	3575.00
2.	रोपण एवं स्थानीय ढुलान	1100	पौधा	2.40	2640.00
3.	पौधों की निराई-गुड़ाई (3 बार)	11000	प्रति सै0	90.00	29700.00
3 क	सफल पौधों के थावलों की मरम्मत	11000	प्रति पौध प्रति बार	1.65	18150.00
4.	रोपावनी क्षेत्र में वर्ष में 1 बार पौधों की लाइन में 1 मी0 चौड़ाई में घास कटाई	10	प्रति है0	851	8510.00
5.	रोपित पौधों में यूरिया का प्रयोग (2 बार)	11000	प्रति पौधा	0.72	15840.00
6.	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	312	दिवस	201	62712.00
7.	प्राकृतिक पौधों का सीडिंग/कल्चर कार्य	10	है0	587	5870.00
8.	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक 02 श्रमिक	90	दिवस	201	18090.00
9.	अन्य व्यय			ल0रा0	2500.00
				योग–	167587.00
			8 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय		10055.22
				योग–	177642.22

द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	पौधो की निराई गुड़ाई 3 बार	11000	प्रति सै0 ·प्रति बार	90.00	29700.00
2.	अग्नि सुरक्षा 02 श्रमिक	90	प्रति दिन	201	18090.00
3.	सुरक्षा खाई की फेंसिंग/पत्थरवाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि	—	—	ल0रा0	40000.00
4.	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हेक्टेयर पर एक)	312	प्रतिदिन	201	62712.00
5.	रोपावनी क्षेत्र में वर्ष में 1 बार पौधो की लाइन में 1 मी0 चौड़ाई में घास कटाई	10	प्रति है0	851	8510.00
6.	अन्य व्यय			ल0रा0	3000.00
				योग–	162012.00
			8 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय		9720.72
				योग–	171732.72

तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	पौधो की निराई गुड़ाई 02 बार	11000	प्रति सै0, प्रति बार	90	19800.00
2.	अग्नि सुरक्षा 02 श्रमिक	90	प्रतिदिन	201	18090.00
3.	सुरक्षा खाई की फेंसिंग/पत्थरवाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि	—	—	ल0रा0	46000.00
4.	प्रजातिवार ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	—	—	ल0रा0	13000.00
5.	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हेक्टेयर पर एक)	312	प्रतिदिन	201	62712.00
6.	अन्य व्यय	—	—	ल0रा0	7008.00
				योग–	166610.00
			8 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय		9996.6
				योग–	176606.6

ESTIMAT- 190.50 ha

Scanned with CamScanner

चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	ट्रेंच खाई की पंजातिग/घेराबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि	—	—	ल०रा०	14000.00
2	प्रजातिवार ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)	—	—	ल०रा०	13000.00
3	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
4	अन्य व्यय	—	—	ल०रा०	4170.00
				योग-	67350.00
			6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय		4041
				योग-	71391.00

पंचम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	ट्रेंच खाई की पंजातिग/घेराबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि	—	—	ल०रा०	3000.00
2	उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में सीमित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रुनिंग/छटाई (वृत्त दरों पर)	11000.00	प्रति सैकड़ा	300.14	33015.40
3	प्रजातिवार ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)	—	—	ल०रा०	13000.00
4	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
5	अन्य व्यय	—	—	ल०रा०	1135.00
				योग–	86330.40
			6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय		5179.824
				योग–	91510.22

षष्टम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
2	प्रजातिवार ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव(मूल्यांकन वृत्त दरों पर)	—	—	ल०रा०	13000.00
3	अन्य व्यय	—	—	ल०रा०	10750.00
				योग–	59930.00
			6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय		3595.8
				योग–	63525.80

सप्तम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
2	प्रजातिवार ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)	—	—	ल०रा०	13000.00
3	अन्य व्यय	—	—	ल०रा०	10750.00
				योग–	59930.00
			6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय		3595.8
				योग–	63525.80

अष्टम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	प्रजातिवार ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)	—	—	ल०रा०	13000.00
2	अन्य व्यय	—	—	ल०रा०	1080.00
				योग–	14080.00
			6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय		844.8
				योग–	14924.80

Scanned with CamScanner

नवम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	प्रजातिवार ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)	–	–	स०मा०	13000.00
2	अन्य व्यय	–	–	स०मा०	1080.00
				योग–	14080.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	844.8
				योग–	14924.80

दशम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	प्रजातिवार ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)	–	–	स०मा०	13000.00
2	अन्य व्यय	–	–	स०मा०	1080.00
				योग–	14080.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	844.8
				योग–	14924.80

वृक्षारोपण वर्ष	1. (अग्रिम मृदा कार्य)– 454122.02 2. (वृक्षारोपण कार्य)– 299513.89	753635.91
		177642.22
प्रथम वर्ष अनुरक्षण–		171732.72
द्वितीय वर्ष अनुरक्षण		176606.60
तृतीय वर्ष अनुरक्षण		71391.00
चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण		91510.22
पंचम् वर्ष अनुरक्षण		63525.80
षष्टम् वर्ष अनुरक्षण		63525.80
सप्तम् वर्ष अनुरक्षण		14924.80
अष्टम् वर्ष अनुरक्षण		14924.80
नवम् वर्ष अनुरक्षण		14924.80
दशम् वर्ष अनुरक्षण		16,14,344.67
योग 10 है० हेतु –		
		1,61,434.46
1.00 है० हेतु वांछित धनराशि	या	1,61,434.00
		3,07,53,177.00
190.50है० हेतु वांछित धनराशि		

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग–2 लखनऊ के शासनादेश संख्या–ए–2–1606/10–2014–17(4)/75 लखनऊ दिनांक 11.11.2014 में स्तम्भ–2 में उल्लिखित "सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों व अन्य निर्माण इकाईयों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर सेंटेज कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा, किन्तु राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी०सी०एल०) प्रणाली व डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी०सी०एल०) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01.04.2014 से सेंटेज कार्यांश (लागत 100) का 6.875 प्रतिशत अनुमन्य होगा। यदि सम्बन्धित विभागों के द्वारा जिन कार्यों पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेंटेज (अधिष्ठान व्यय) राजकोष में जमा किया जा चुका है, उन्हे पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा"।

उक्त धनराशि 3,07,53,177.00 पर 6.875% सेन्टेज सहित वांछित धनराशि= 3,28,67,458.00 (तीन करोड़ अट्ठाइस लाख सड़सठ हजार चार सौ अट्ठावन रुपये) मात्र ।

नोट– उपरोक्त धनराशि वर्तमान दर के अनुसार प्रोक्कलित है जो उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों/गाइड लाइन के अनुसार परिवर्तनीय है।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर

पत्रांकः– 3654 /13–1 ललितपुर दिनांकः– 14 मार्च/2023
सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः– चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी कि0मी0 सं0–51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात कुल 112722 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव संख्या– (FP/UP/Road/121197/2021) के संबंध में।

सदर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक–3177/14–1 (FP/UP/Road/121197/2021), दिनांक 02.03.2023।

महोदय

उपरोक्त विषयक के संबंध में इस वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी कुल 223.00 हे0 गैर वन भूमि से 41.22 हे0 गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र0सं0	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	पॉलीगन का क्षेत्रफल (हे0 में)	अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण तथा 10 वर्षो तक अनवर्ती अनुरक्षण व्यय की
1	2	3	4	5
1	बार	बघौरा गाटा संख्या–228	6.71	2360231.00
2	बार	बघौरा गाटा संख्या–739 एवं 740	5.21	2161238.00
3	बार	बघौरा गाटा संख्या– 15, 16 एवं 17	13.30	3533623.00
4	ललितपुर	कपासी गाटा संख्या– 251	16.00	4654154.00
		योग :–	41.22	1,27,09,246.00

रु0 एक करोड़ सत्ताईस लाख नौ हजार दो छियालीस रुपये मात्र

गैर वन भूमि की अनउपलब्धता की दशा में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगनी अवनत वन भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	पॉली गन का क्षेत्रफल (हे0 में)	अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण तथा 10 वर्षो तक अनवर्ती अनुरक्षण व्यय की
1	2	3	4	5
1	गोना	बालाबेहट	40.00	10194634.00
2	तालबेहट	शाहपुर	20.00	5568527.00
3	तालबेहट	पवा	26.84	7612019.00
		योग :–	86.84	2,33,75,180.00

रु0 दो तैतीस लाख पच्चतर हजार एक सौ अस्सी रुपये मात्र

उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि 223.00 हे0 में से 181.04 हे0 (उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि) अनुपयुक्त वनभूमि में ए0एन0आर0 कार्य प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	पॉलीगन का क्षेत्रफल (हे0 में)	ए0एन0आर0 कार्य तथा 10 वर्षों तक अनवर्ती अनुरक्षण व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
1.	ललितपुर	धौजरी गाटा सं0-302/1	2.24	62,18,100.00
2.	ललितपुर	धौजरी गाटा सं0-26/1	30.20	2,04,37,000.00
3.	ललितपुर	धौजरी गाटा सं0-27/1	90.50	7,05,50,200.00
4.	ललितपुर	जाखलौन गाटा सं0-752/4/1	18.00	1,44,95,100.00
5.	ललितपुर	जाखलौन गाटा सं0-606/4	20.30	1,62,72,200.00
6.	ललितपुर	जाखलौन गाटा सं0-532/1/2	9.74	1,03,57,500.00
7.	ललितपुर	जाखलौन गाटा सं0-523	2.40	60,25,900.00
8.	ललितपुर	बघौरा गाटा सं0-810, 817	7.66	1,06,83,500.00
		योग :-	181.04	15,50,39,500.00

रू0 पन्द्रह करोड़ पचास लाख उन्तालीस हजार पांच सौ रूपये मात्र

अतः वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि 41.22 हे0, दुगनी अवनत वन भूमि 86.84 हे0 में क्षतिपूरक वनीकरण के अग्रिम मृदा कार्य वृक्षारोपण एवं शेष उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि 181.04 हे0 का 10 वर्षों तक अनवर्ती अनुरक्षण हेतु आवश्यक अनुमानित धनराशि 19,11,23,926.00 (उन्नीस करोड़ ग्यारह लाख तेईस हजार नौ सौ छब्बीस रुपये मात्र) के प्राक्कलन संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14/03/2023

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

पत्रांक :- 3654 /सम दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
3. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, झांसी।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
5. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
6. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उपलब्ध करायी जा रही 41.22 हे0 गैर वन भूमि, 86.84 हे0 दुगनी अवनत वन भूमि एवं 181.04 हे0 गैर वनभूमि के एस0ओ0आई0 टोपोशीट, जिओ रिफरेन्स मैप, पॉलीगन टेबिल एवं पॉलीगन मैप प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14/03/2023

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

पत्रांकः–5150 /14–1, मेरठः दिनांकः 02 मार्च, 2023.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः– चौधरी चरणसिंह कांवड़ राजक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दाएँ पटरी कि०मी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.00 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.90 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,073 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौधे (24,223 वृक्ष तथा 42,462 पौध) एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में (4104 वृक्ष एवं 25000 पौध) 29,164 वृक्ष/पौधे अर्थात कुल 1,12722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः– 1–पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/930, दिनांक–28.02.2023.
2–आपका पत्रांक–3177/14–1, दिनांक 02.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी। जिसके क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रभाग से सम्बन्धित विभिन्न धनराशि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जोकि निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	शर्त सं0	मद	धनराशि (रू0 में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धित विवरण
1	2	3	4	5
1	6	जनपद मेरठ की 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि का संशोधित दरों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की धनराशि (रू0 12,28,590.00/– प्रति हे0)	10,39,38,714.00/– (दस करोड उन्तालीस लाख अडतीस हजार सात सौ चौदह रूपये मात्र)	प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से।
2	4 व 9	शर्त संख्या–4 एवं 9 के अनुसार जनपद मेरठ में प्रभावित वृक्षों के पातन से होनी वाली क्षति के फलस्वरूप रोड साईड प्लाटेशन/ब्लॉक प्लांटेशन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल का संयुक्त सर्वेक्षण उपरान्त के0एम0एल0 फाईल एवं प्लांटेशन स्कीम उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–5144/14–1, दिनांक 02.03.2023 से प्रयोक्ता अभिकरण को लिखा गया है। प्लांटेशन स्कीम एवं के0एम0एल0 उपलब्ध कराने उपरान्त ही रोड साईड प्लांटेशन/ब्लॉक प्लांटेशन की धनराशि का आंकलन प्रेषित किया जाना सम्भव हो पायेगा।	—	
3	इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन एवं वन्यजीव के सफल प्रबन्ध हेतु प्रस्तावित प्रयोजना की कुल लागत का 02 प्रतिशत धनराशि को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वन प्रभागों में नियमानुसार देय ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।			

अतः आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वांछित सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 02/03

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संख्या–5150 /14–1, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,मेरठ वृत्त, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 2. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 02/03

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

पत्रांक–5300 /14–1, मेरठः दिनांकः 15 मार्च, 2023.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः– **चौधरी चरणसिंह कांवड़ सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दाएँ पटरी कि०मी० चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुज़फ्फरनगर वन प्रभाग में 113.86 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाज़ियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुज़फ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौधे (24,223 वृक्ष तथा 42,462 पौधे) एवं गाज़ियाबाद वन प्रभाग में (4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे) 29,164 वृक्ष/पौधे अर्थात कुल 1,12722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।**

सन्दर्भः– 1–पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/221/2021 /एफ0सी0/930, दिनांक–28.02.2023.
2–आपका पत्रांक–3265/14–1, दिनांक 14.03.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी। जिसके क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रभाग से सम्बन्धित विभिन्न धनराशि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जोकि निम्नवत् हैः–

1– सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या–04 के सापेक्ष 15 हे0 रोड साईड प्लानटेशन/ब्लॉक प्लानटेशन/ट्री गार्ड हेतु धनराशि रू0 1,86,05,220.00/–(एक करोड़ छयासी लाख पाँच हजार दो सौ बीस रूपये मात्र) को कैम्पा फण्ड में जमा कराया जायेगा।

2– परियोजना में प्रभावित पूर्व में किये गये वृक्षारोपण के सापेक्ष वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण की धनराशि रूपये 46,27,763.00/–(छयालिस लाख सत्ताईस हजार सात सौ तिरसठ रूपये मात्र) का का देय ड्रॉफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के माम देय हो को इस कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

3–उक्त के अतिरिक्त वन एवं वन्य जीव के सफल प्रबंधन हेतु धनराशि रू0 50,00,000.00/–(पचास लाख रूपये मात्र) की धनराशि का देय ड्रॉफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के नाम देय हो को इस कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

4– इसके अतिरिक्त परियोजना में प्रभावित सरधना रेंज परिसर का नव निर्माण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के खर्च पर किया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता भी उपलब्ध करायी गयी है।

अतः आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वांछित सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संख्या–5300 / 14–1 , दिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,मेरठ वृत्त, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 2. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांकः 3612/14–1, दिनांक, गाजियाबाद 17 मार्च, 2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी कि0मी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 है0 संरक्षित वन भूमि, जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 है0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 है0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल–222.98 है0 संरक्षित वन भूमि एव के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 65685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधें अर्थात कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (FP/UP/Road/121197/2021) ।

संदर्भः पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या– 8बी0/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/930, दिनांक 28.02.2023 तथा आपका पत्रांक– 3177/14–1, दिनांक 02.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धन्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी। जिसके कम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रभाग से सम्बन्धित विभिन्न धनराशि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जोकि निम्नवत् हैः–

Observe No.	Condition of GOI	Complince
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को लिखने का कष्ट करें।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over of 408.06 ha {41.22 ha non forest land (16.00 ha of Gata No. 251/4, Village Kapasi, Range & District Lalitpur, 13.30 ha of Gata No. 15, 16 & 17 village Baghaura, range Baar District Lalitpur 6.71 ha of Gata No. 228 Village Baghaura Range Baar, District Lalitpur & 5.21 ha of Gata No. 739 & 740 Range Baar, District Lalitpur) and 366.84 ha degraded forest land (66.50 ha of Daati Compartment No. 1 (Suryavar), rangeVindhamphal, District Mirzapur, 40.00 ha of Babura Compartment No. (mahugarhi) Range Darmandganj District Mirzapur 84.00 ha of Ghori Compartment No. 2 Jahdar Range Patehara District Mirzapur 40.00 ha. of Balabehat Ofrest Block Range Gauna, District Lalitpur, 20.00 ha. of Shahpur forest Block range Talbehat District Lalitpur 26.84 ha of Pwa Ofrest Block range Talbehat District Lalitpur, 18.00 ha of Compartment No. 6 patna Forest Block range Patna District sonbhadra 20.00 ha of Compartment No. 2 Roup Forest Block Range Churk District Sonbhadra 20.00 ha of Compartment No. 3 Roup Forest Block, Range Churk District Sonbhadra 20.00 ha. of compartment No. 8 Manchi Forest Block, Range Machi District Sonbhadra & 20.00 ha f Compartment No. 3 Devri Forest Block Range Machi District SOnbhadra)} the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and nonoculature of any species may be avoided.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित नही है। सम्बन्धित से मांग प्रस्तुत करने हेतु लिखने का कष्ट करें।
3	The non-forest land which is unsuitable for plantation should be taken up for protection and assisted afforestation in the available space usingneccssary cultural operation technique.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
4	Road side plantation/block plantation should be taken up any of the three affected districts in the proposal to compensate for loss of tree cover.	उक्त शर्त की अनुपालना हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ द्वारा अपने पत्रांक–5300/14–1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा मांग प्रेषित की जा चुकी है।

5	The non forest land of 223.00 ha in district Lalitpur Proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
6	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
7	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 222.98 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency n this regard.**	एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3,35,20,617 कैम्पा फंड में जमा कर पुष्टि इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु लिखने का कष्ट करें।
8	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
9	User agency shall restrict the felling of trees to 112722 tree/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling trees shall be deposited by the User Agency with State Forest Department.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
10	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
11	certificate of 'No violation'of FCA from concerned DFOs shall be provided.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र इस वन प्रभाग के स्तर से अनुपालन के समय प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
12	Plantation shall be raised on both sides of the road and median by State Forest Department at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16-11-201. Scheme for roadside plantation shall be submitted.	1. इस वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थान पर 2470 ब्रिक गार्ड निर्माण कर वृक्षारोपण एवं 06 वर्षो के अनुरक्षण हेतु रू0-1,02,50,500 की धनराशि कैम्पा फण्ड मे जमा करने हेतु लिखने की कृपा करे। 2. इस वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग के मीडियन पर 2058 ट्री गार्ड क्रय कर वृक्षारोपण एवं 06 वर्षो के अनुरक्षण हेतु रू0- 61,74,000.00 की धनराशि कैम्पा फण्ड मे जमा करने हेतु लिखने की कृपा करे। **उक्त ब्रिक गार्ड एवं ट्री गार्ड वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि रू0-1,64,24,500.00 कैम्पा फण्ड मे जमा कराकर चालान एवं पुष्टि इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।**
13	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intercals in the Protected Areas/Forest Areas.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
14	The user agency shall provide suitable under/over pass in protected Area/Forest Area as per recommendation of CWLW/NBWL/FCA/REC.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
15	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
16	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central	सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने

17	No labour camp shall be established on the forest land	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
18	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
19	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
20	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
21	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
23	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be trans ferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
24	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
25	Any order of Temporary Work Permission I case of Linear Project for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Ndal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
26	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline E. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
27	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
28	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ depositedto CAMPA fund only through e-portal (htps://parivesh.nic.in).	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
29	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।

1. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के स्तर से प्रस्ताव के साथ चौ० चरण सिंह कावड़ मार्ग मे विस्थापित होने वाली इस वन प्रभाग की परिसम्पत्ति का आंकलन कर रू0– 3,01,11,392.00 का डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था तथा उक्त सूचना परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपलोड की गयी थी। उक्त धनराशि जमा करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा कोई भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विस्थापित होने वाली परिसम्पत्तियों की धनराशि प्रस्तावक विभाग से जमा कराने एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उक्त शर्त का उल्लेख करने हेतु लिखने का कष्ट करें।
2. उक्त के अतिरिक्त वन एवं वन्य जीव के सफल प्रबंधन हेतु धनराशि रू0– 50,00,000.00 (पचास लाख रूपये मात्र) की धनराशि का देय ड्रॉफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम देय हो को इस कार्यालय में जमा करने हेतु लिखने की कृपा करें।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

पत्रांक: 3612/14–1, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

17	No labour camp shall be established on the forest land	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
18	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
19	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
20	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
21	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
23	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be trans ferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
24	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
25	Any order of Temporary Work Permission I case of Linear Project for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Ndal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
26	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline E. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
27	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
28	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ depositedto CAMPA fund only through e-portal (htps://parivesh.nic.in).	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
29	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।

1. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के स्तर से प्रस्ताव के साथ चौ० चरण सिंह कावड़ मार्ग मे विस्थापित होने वाली इस वन प्रभाग की परिसम्पत्ति का आंकलन कर रू0- 3,01,11,392.00 का डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था तथा उक्त सूचना परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपलोड की गयी थी। उक्त धनराशि जमा करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा कोई भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विस्थापित होने वाली परिसम्पत्तियों की धनराशि प्रस्तावक विभाग से जमा कराने एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उक्त शर्त का उल्लेख करने हेतु लिखने का कष्ट करें।
2. उक्त के अतिरिक्त वन एवं वन्य जीव के सफल प्रबंधन हेतु धनराशि रू0- 50,00,000.00 (पचास लाख रूपये मात्र) की धनराशि का देय ड्रॉफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम देय हो को इस कार्यालय में जमा करने हेतु लिखने की कृपा करें।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

पत्रांक: 3612/14-1, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।